डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी–एच0डी0) अध्यादेश–2018

पी–एच0डी0 / एम0फिल0 उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया विनियम–2016 University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degrees) Regulation-2016 के आधारभूत अनुपालन के क्रम में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 प्रवेश और गुणवत्तापूर्वक शोध कार्यों के संचालन हेतु पूर्ववर्ती अध्यादेश में सुधार एवं संशोधन कर दिया गया है, जिसे डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय पी–एच0डी0 अध्यादेश–2018 कहा जायेगा।

05.9.19
डॉ0 ए0 के0 सिंह
उप कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी–एच0डी0) अध्यादेश–2018

1 पी–एच0डी0 में पंजीकरण हेतु पात्रता (Eligibility for Ph-D. Registration)

1.1 डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का शोध पाठ्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष का एक नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। कहीं किसी भी संस्था में सेवारत/कार्यरत व्यक्ति को पूर्णतः तीन वर्ष का अवकाश लेकर ही इसमें प्रवेश लेने का अधिकार होगा। उपर्युक्त नियमों में कोई भी आंशिक त्रुटि शोधार्थी के प्रवेश को निरस्त करने के लिये पर्याप्त होगी। पी–एच0डी0 कोर्स वर्क करने के लिए सिर्फ शिक्षकों हेतु छः माह का अवकाश लेकर ही प्रवेश लेने का अधिकार होगा।

1.2 पी–एच0डी0 डिग्री के लिये किसी भी इच्छुक अभ्यर्थी को आवेदन फार्म भरने के लिये डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विषय या विषय से सम्बन्धित परास्नातक/मास्टर डिग्री या समकक्ष डिग्री/ललित कला में एम0एफ0ए0/एम0वी0ए0 होना अनिवार्य है।

1.3 उत्तम एवं समृद्ध शैक्षणिक उपलब्धियों (Good Academic Record) के साथ परास्नातक/मास्टर डिग्री स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा ग्रेडिंग प्रणाली में (7 बिन्दु मानक पर अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है, वहाँ उसी बिन्दु मानक पर समकक्ष) बी ग्रेड की अनिवार्यता अपेक्षित है। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ0बी0सी0 (नॉन क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा ग्रेडिंग प्रणाली में (7 बिन्दु मानक पर अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है, वहाँ उसी बिन्दु मानक पर समकक्ष) बी ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य है।

1.4 यू0जी0सी0, सी0एस0आई0आर0 या अन्य समकक्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में चयनित उम्मीदवार को प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा जिसका आधार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग/राजकीय डिग्री कालेज, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेट (NET) परीक्षा हेतु निर्धारित विषयवार पाठ्यक्रम होंगे। प्रवेश परीक्षा का विवरण निम्नलिखित है–

प्रथम चरण

(क) 100 अंकों के पूर्णांक और 05 अंकों के अतिरिक्त भारांक को जोड़कर प्रवेश परीक्षा का अन्तिम परिणाम तैयार किया जायेगा।

(ख) 90 अंकों के वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्र कार्बन कॉपी संलग्न उत्तर कुंजी के साथ तैयार किये जायेंगे जिसमें 45 अंक के प्रश्न शोध प्रविधि से सम्बन्धित तथा 45 अंक शोध सम्बन्धी विभाग के विषय पर आधारित होगें। (परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी की कार्बन कॉपी परीक्षार्थी को दे दी जायेगी।)

(ग) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार से निर्धारित नियमों के अनुसार सुविधाएं अनुमन्न करायी जायेगी।

द्वितीय चरण

(घ) 10 अंक पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन (PPt)
दूसरे चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने का आधार प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा का परिणाम और मेरिट क्रमांक होगा।

05/09/19
डॉ0 ए0 के0 सिंह
उप कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा...

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
...पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

पी–एच0डी0 हेतु रिक्त सीटों के सापेक्ष तीन गुने अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के दोनों चरणों के क्रमशः, ख और घ में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। किसी एक में भी अनुपस्थिति की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त मान लिया जायेगा।

तत्पश्चात प्रवेश परीक्षा का अन्तिम रिजल्ट अतिरिक्त भारांक जे0आर0एफ0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को 05 अंक तथा नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को 03 अंक जोड़कर तैयार किया जायेगा।

1.5 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु पी–एच0डी0 में प्रवेश का आधार, विश्वविद्यालय की पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा के प्रथम चरण में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1.6 दिव्यांग जन, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये प्रथम चरण प्रवेश परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन प्रवेश सूची मेरिट क्रमांक के आधार पर ही तैयार की जायेगी।

1.7 अभ्यर्थी जिस विषय/विभाग में आवेदन करेगा, और जिस विषय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसका अभ्यर्थन उसी विषय/विभाग में मान्य होगा।

1.8 डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्रों की 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था यथावत पी–एच0डी0 प्रवेश प्रक्रिया में भी नियमतः प्रभावी होगी।

1.9 प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर पी–एच0डी0 हेतु पात्र पाये गये उम्मीदवारों की आरक्षण व्यवस्था में श्रेणीवार योग्यता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

1.10 योग्य घोषित किये गये उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने के पश्चात् पी–एच0डी0 प्रवेश समिति पंजीकृत शोधार्थियों की सूची पंजीकरण संख्या व सत्र के साथ सम्बन्धित विभागों और निदेशक शोध कार्यालय को प्रेषित कर देगी।

2 पी–एच0डी0 हेतु रिक्त सीटों की गणना (Enumeration of Ph.D Seats)

2.1 एक समय में पी–एच0डी0 हेतु सीटों की संख्या–

प्रोफेसर के लिये 08, एसोसिएट प्रोफेसर के लिये 06 और असिस्टेण्ट प्रोफेसर के लिये 04 होगी।

2.2 पी–एच0डी0 की रिक्त सीटों को विश्वविद्यालय की आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत विभागवार आरक्षित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत व विभाजित कर विज्ञापित किया जायेगा।

3 शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor)

3.1 कोई भी व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय से सेवा मुक्त हो चुका है, शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी भी तरह मान्य नहीं होगा। भले ही अपनी आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय उसकी पुनर्नियुक्ति कर चुका हो। पर्यवेक्षक के सेवाकाल में तीन वर्ष पूर्व के पंजीकृत शोधार्थियों को सेवामुक्त हो चुके पर्यवेक्षक के निर्देशन में दो वर्ष के भीतर शोध कार्य पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

3.2 विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त असिस्टेण्ट प्रोफेसर न्यूनतम 03 वर्ष के स्नातक/परास्नातक शिक्षण अनुभव और परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद R.D.C. की अनुमति से पी–एच0डी0 पर्यवेक्षक हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु उन्हें विभागाध्यक्ष से अग्रसारित आवेदन R.D.C. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

3.3 पी–एच0डी0 हेतु शोध पर्यवेक्षकों की अर्हता को ध्यान में रखकर D.R.C. (विभागीय शोध समिति) पर्यवेक्षक के रूप में अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित आवेदन को R.D.C. (शोध उपाधि समिति) के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित करेगी।

05/09/19
डॉ0 ए0 के0 सिंह
उप कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

3.4 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेण्ट प्रोफेसर यदि पूर्व में कहीं भी मान्यता प्राप्त शोध संस्थान में शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकृत न रहे हों तो विश्वविद्यालय की R.D.C. द्वारा अधिकृत होने के पश्चात् ही पी–एच0डी0 पर्यवेक्षक के रूप में वे मान्य होंगे।

3.5 ऐसे प्रकरणों में जहाँ शोध पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण तथा मृत्यु आदि के कारण शोधार्थियों के पुनर्वितरण Re allocation/पर्यवेक्षक परिवर्तन किया जाना हो, वहाँ D.R.C. की औचित्यपूर्ण संस्तुति के उपरान्त R.D.C. के स्तर से ही अन्तिम निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

3.6 अनुसंधान की गुणवत्ता के दृष्टिगत अन्तर–अनुशासनात्मक विषयों पर शोध के लिये D.R.C. सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति की संस्तुति कर सकती है, बशर्ते सहपर्यवेक्षक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय शोध संस्थान या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकृत हो अथवा प्रतिष्ठित उपलब्धियों के साथ कार्यरत हो, और शोधार्थी के लिये उसकी सहमति भी हो। शोधार्थी की सीट उस मूल पर्यवेक्षक के कोटे से जायेगी, जहाँ शोधार्थी प्रवेश परीक्षा के बाद पंजीकृत हुआ हो। इस सम्बन्ध में भी R.D.C. का निर्णय अन्तिम रूप से प्रभावी और मान्य होगा।

3.7 विश्वविद्यालय की विभागीय शोध समिति विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति से अनुमति लेकर किसी ऐसे शोधार्थी का सीधे प्रवेश ले सकती है, जो किसी दूसरे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके प्री. पी–एच0डी0 कोर्स वर्क पूरा कर चुका हो, तथा इस बीच उसके पर्यवेक्षक की नियुक्ति इस विश्वविद्यालय में हो गयी हो, और पूर्व पंजीकृत विश्वविद्यालय की R.D.C. से उसने अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो।

3.8 कोई भी शोध पर्यवेक्षक अपने निकट सम्बन्धी को अपने निर्देशन में शोध कार्य नहीं करा सकता है।

4 विभागीय शोध समिति D.R.C. (Department Research Committee)

4.1 पी–एच0डी0 में पंजीकरण के बाद से शोध उपाधि मिलने के पूर्व बाह्य परीक्षक द्वारा ली गयी मौखिकी तक सम्बन्धित सभी विभागीय मामलों की देख–रेख D.R.C. द्वारा की जायेगी। D.R.C. का गठन निम्न प्रकार होगा–

4.2 विभागाध्यक्ष/ विषय समन्यवयक–संयोजक

4.3 विभाग के समस्त आचार्य–सदस्य

4.4 विभाग का एक एसोसिएट प्रोफेसर वरिष्ठतानुसार चक्रीय क्रम में–सदस्य

4.5 विभाग के एक असिस्टेण्ट प्रोफेसर वरिष्ठतानुसार चक्रीय क्रम में–सदस्य

4.6 कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ।

4.7 अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि।

4.8 अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि।

4.9 एक दिव्यांग प्रतिनिधि।

(विभागीय शोध समिति में अगर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा दिव्यांग प्रतिनिधि अगर स्वतः सदस्य होता है तो इनके प्रतिनिधि नामित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।)

4.10 D.R.C. का कार्यकाल 03 वर्ष के लिये होगा।

4.11 शोध प्रारूप की गुणवत्ता और आवश्यकता के आधार पर उसका अनुमोदन/संस्तुति D.R.C. करेगी। D.R.C. में किसी विवाद की दशा में शोध पर्यवेक्षक स्वतंत्र रूप से अपनी राय R.D.C. के समक्ष रख सकेगा और R.D.C. का निर्णय ही अन्तिम रूप से प्रभावी होगा।

4.12 D.R.C. की संस्तुति के बाद पी–एच0डी0 प्रवेश से सम्बन्धित पत्रावली संस्तुति के लिये R.D.C. (Research Degree Committee) को भेजी जायेगी।

4.13 तत्पश्चात् विभागवार शोध विषय, शोध पर्यवेक्षक और शोधार्थी का नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा व तत्सम्बन्धी सूचना से यू0जी0सी0 को भी अवगत करा दिया जायेगा।

डॉ० एस०के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

5 शोध उपाधि समिति R.D.C. (Research Degree Committee)

5.1 विश्वविद्यालय स्तर पर शोध सम्बन्धी समस्त कार्यों की देखरेख के लिए शोध उपाधि समिति का गठन किया जायेगा। शोध सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ शोध उपाधि समिति में सन्निहित होंगी।

5.2 कुलपति (Vice Chancellor) –अध्यक्ष

5.3 सभी संकायों के अधिष्ठाता–सदस्य।

5.4 सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष–सदस्य।

5.5 कुलसचिव–सदस्य सचिव।

5.6 शोध उपाधि समिति का कार्यकाल 03 वर्ष होगा। इसका गठन निम्नलिखित मानक से किया जायेगा–

5.7 अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में सम्बन्धित शिक्षक, जिसे सम्बन्धित शोध विषय के निर्देशक हेतु अग्रेषित किया गया है।

6 आधारभूत पाठ्यक्रम (Basic Course Work)

6.1 पी–एच0डी0 हेतु सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को संकायवार एक सेमेस्टर कोर्स (कोर्स वर्क) पूर्ण करना होगा।

6.2 प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत समस्त विभागाध्यक्षों के परामर्श से संकायाध्यक्ष कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम को तैयार कर, शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6.3 उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् अधिसत्र (सेमेस्टर) के अंत में विश्वविद्यालय कैलेण्डर की निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा नियंत्रक के निर्देशन में परीक्षा संपन्न करायी जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिये शोधार्थी को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। अनुत्तीर्ण छात्रों को आगामी अनुसंधान सत्र में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से शोधार्थी फिर भी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है तो शोध उपाधि समिति की अनुमति के आधार पर उसे एक और अन्तिम अवसर प्रदान किया जा सकता है। यह परीक्षा शोध उपाधि समिति के निर्देश पर आगामी सत्र से पूर्व भी करायी जा सकती है। शोध पंजीकरण से लेकर कोर्स वर्क व तत्पश्चात् शोध कार्य की पूर्णता की न्यूनतम अवधि कुल 36 माह होगी। कोर्सवर्क पूर्ण होने तक शोधार्थी को प्राप्त होने वाली अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से निर्गत की जा सकेगी तथा शोधार्थी की उपस्थिति कोर्सवर्क हेतु निर्धारित उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जायेगी।

6.4 शोधार्थी का कोर्सवर्क सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् शोधार्थी को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित अंक पत्र व कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

7 शोध विषय का निर्धारण (Determination of Research Topic)

7.1 कोर्सवर्क उत्तीर्ण कर चुके शोधार्थियों का शोध विषय, शोध विषय के अनुरूप पर्यवेक्षक आदि का निर्धारण विभागाध्यक्ष के संयोजन में गठित विभागीय शोध समिति द्वारा किया जायेगा।

7.2 शोध विषय निर्धारण हेतु विभागीय शोध समिति की बैठक में अधिकतम दो बाह्य विषय विशेषज्ञ और न्यूनतम एक बाह्य विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा।

7.3 उक्त बैठक में सहभागिता हेतु D.R.C. के आन्तरिक सदस्यों के साथ ही कम से कम किसी एक बाह्य विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

05/09/19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

8 न्यूनतम समय सीमा (Minimum Duration)

8.1 उम्मीदवार द्वारा शुल्क की प्रथम किस्त जमा करने के तिथि से ही पी–एच0डी0 की समय सीमा प्रारम्भ मान ली जायेगी।

8.2 शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की न्यूनतम सीमा तीन वर्ष और अधिकतम छः वर्ष होगी।

8.3 दिव्यांग शोधार्थियों या महिलाओं को 02 वर्ष का अतिरिक्त समय पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर शोध उपाधि समिति द्वारा क्रमशः एक–एक वर्ष का विस्तार दो बार में प्रदान किया जा सकता है।

8.4 पी–एच0डी0 शीर्षक एवं प्रारूप में आंशिक संशोधन शोध प्रबंध प्रस्तुतीकरण के छः माह पूर्व पर्यवेक्षक की संस्तुति के आधार पर विभागीय शोध समिति की अनुमति से सम्भव हो सकेगा।

8.5 जिस अध्यापक को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना है, उसे भी अपने शोधार्थी के शोध विषय पर अपना मंतव्य रखने के लिये विभागीय शोध समिति की बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

9 प्रगति विवरण (Progress Report)

9.1 शोधार्थी को प्रत्येक छः माह पर अपने शोध पर्यवेक्षक द्वारा अग्रसारित संतोषजनक प्रगति विवरण (Progress Report) विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

9.2 शोधार्थी को शोध प्रबंध पूर्ण करने तक कम से कम 04 प्रगति विवरण जमा करना अनिवार्य होगा।

9.3 यू0जी0सी0 प्रावधान और अपेक्षा के अनुकूल जे0आर0एफ0 से एस0आर0एफ में उन्नयन हेतु शोध पर्यवेक्षक तथा एक बाह्‌य विषय विशेषज्ञ और विभागीय शोध समिति की संयुक्त और सकारात्मक संस्तुति को आधार बनाया जायेगा।

9.4 जे0आर0एफ0 से एस0आर0एफ0 में उन्नयन हेतु शोध निदेशक के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा दिये गये 5 बाह्‌य विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति किसी एक बाह्‌य विषय विशेषज्ञ को, विभागीय शोध समिति में सहभागिता के लिये अधिकृत करेंगे। कुलपति बाह्‌य विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति दी गयी सूची के बाहर से भी कर सकेंगे।

10 उपस्थिति व क्षेत्र कार्य (Attendance & Field Work)

10.1 प्रत्येक शोधार्थी की 90 प्रतिशत उपस्थिति शोध पर्यवेक्षक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, क्योंकि शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय शोधार्थी की उपस्थिति का प्रमाण–पत्र पर्यवेक्षक को देना अनिवार्य होगा।

10.2 शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा व विभागाध्यक्ष की अनुमति से शोधार्थी विषयानुकूल शोध सामग्री संकलन के लिये एक वर्ष में अधिकतम 60 दिन की अवधि के लिये शोध केन्द्र से बाहर जा सकता है। एक बार में यह अवधि अधिकतम 45 दिन की होगी। वापसी पर उसे सम्बन्धित संस्था/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र पर्यवेक्षक द्वारा अग्रसारित कराकर विभागाध्यक्ष के पास जमा करना होगा।

11 पूर्व पी–एच0डी0 प्रस्तुतीकरण (Pre Ph.D. Presentation)

11.1 शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व शोधार्थी को पूर्व पी–एच0डी0 प्रस्तुतीकरण (Pre Ph.D. Presentation) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पूर्व पी–एच0डी0 प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया विभाग द्वारा आयोजित खुले सत्र में सम्पन्न की जायेगी, जिसमें विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द एवं शोधार्थियों/ अन्तरअनुशासनात्मक विषयों के शोधार्थियों की उपस्थिति में, शोधार्थी को अपना शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करना होगा। शोध पर्यवेक्षक की अनुमति से शोधार्थी, इस खुले सत्र में, विभाग के अन्य शिक्षकों, शोधार्थियों से प्राप्त आवश्यक और उपयोगी सुझावों को अपने शोध प्रबंध में समावेशित करने हेतु स्वतंत्र होगा। शोध पर्यवेक्षक इस पूरी प्रक्रिया का संयोजक होगा।

05/09/19
डॉ0 ए0 के0 सिंह
उप कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

11.2 पूर्व पी–एच0डी0 प्रस्तुतीकरण के उपरान्त शोधार्थी द्वारा शोध प्रबंध की सी0डी0 एवं शोध प्रबंध में संलग्न दोनों शोध पत्रों की सी0डी0 विभागाध्यक्ष के माध्यम से शोध निदेशक को प्रेषित की जायेगी।

11.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने एवं साहित्यिक चोरी की रोक थाम हेतु विनियम–2018 की अनुशंसा का पालन किया जायेगा। जिसके लिये वेबसाइट-https://www.urkund.com/ turnitin.com या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकृत अन्य Online Platform द्वारा शोध प्रबंध की मौलिकता का परीक्षण शोध निदेशालय की केन्द्रीकृत व्यवस्था/विभाग के तहत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.4 शोध प्रबंध में संलग्न शोध प्रपत्रों की जाँच भी उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से ही की जायेगी।

11.5 शोध प्रबंध परीक्षण की संतोषजनक आख्या प्राप्त होने के पश्चात् ही शोधार्थी शोध प्रबंध का अन्तिम आलेख प्राविधानित संलग्नकों के अनुसार तैयार करेगा।

11.6 शोध प्रबंध, शोध पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित होने के पश्चात् मूल्यांकन हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12 शोध प्रबंध का प्रारूप (Design of the thesis format)

12.1 रोमन लिपि में शोध प्रबंध टंकित किये जाने के स्थिति में Times New Roman size-14 with Line Spacing 1.15 तथा देवनागरी लिपि में टंकित किये जाने की स्थिति में Kruti Dev size-16 with Line Spacing-1.15 का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। पृष्ठ मारजिन बाईं ओर 2 इंच और अन्य तीन तरफ 1 इंच आदर्श माना जायेगा। शोध प्रबंध की डिज़ाइन के अनुरूप इसमें संभावित (आंशिक) परिवर्तन शोध अनुभाग से प्राप्त अनुमति के आधार पर ही मान्य होगा।

12.2 शोधार्थी, विभागाध्यक्ष और शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध की पूर्णता, मौलिकता एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शोध प्रबंध के प्रारम्भ में संलग्नक 02 से 09 के अनुसार संलग्न किये जायेंगे।

12.3 शोध प्रबंध के अंत में ISSN के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य एवं स्वीकृत सूचीबद्ध पत्रिकाओं/सांईटिफिक साइटेशन इंडेक्स आधारित शोध पत्रिका/पीयर रिव्यूड (समकक्ष व्यक्ति समीक्षित) जर्नल में प्रकाशित अपने शोध विषय/अन्तरअनुशासनात्मक विषय से सम्बन्धित दो शोध पत्र संलग्न किये जायेंगे।

12.4 शोध प्रबंध के अंत में शोधार्थी द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध विषय से सम्बन्धित/या अन्तर अनुशासनात्मक शोध पत्रों की प्रस्तुति के साथ की गयी सहभागिता के दो प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेंगे।

13 मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध की प्रस्तुति (Presentation of thesis for Evaluation)

13.1 शोध पर्यवेक्षक द्वारा अग्रसारित विभागाध्यक्ष को सम्बोधित अपने प्रार्थना–पत्र को शोधार्थी इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करेगा कि– मैंने.................................विभाग ....संकाय के अन्तर्गत...................... ....विषय पर अपना शोध प्रबंध और अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं, अतः शोध प्रबंध जमा करने की कृपा करें।

13.2 उम्मीदवार द्वारा शोध प्रबंध (थीसिस) की छः हार्ड बाउंड कापी, दो सी0डी0 (पी0डी0एफ0 फार्मेट) में तैयार कर शोध पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित कराने के पश्चात् शोध निदेशक कार्यालय के शोध अनुभाग में जमा की जायेगी।

13.3 शोधार्थी द्वारा अपने शोध प्रबंध की सारांशिका छः प्रतियों में शोध प्रबंध के साथ ही उपरोक्त प्रक्रिया से जमा की जायेगी।

25/09/19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

13.4 विभागाध्यक्ष एवं शोध पर्यवेक्षक द्वारा बाह्य परीक्षकों के तीन–तीन नाम व उनके दूरभाष नं0, ई–मेल, कार्यालय और आवास के अलग–अलग पते आदि की विस्तृत सूची सील बंद लिफाफे के भीतर शोध प्रबंध के साथ ही शोध अनुभाग में जमा की जायेगी। उक्त दोनों ही स्तर से उपलब्ध कराये जाने वाले तीन नामों में से एक नाम प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय या संस्थान से होना अनिवार्य होगा। परीक्षकों की सूची तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक होगा कि एक संस्थान से सिर्फ एक ही विशेषज्ञ का नाम प्रस्तावित किया जाये।

13.5 विश्वविद्यालय के कुलपति को यह अधिकार होगा कि परीक्षकों के निर्धारण हेतु विभागाध्यक्ष एवं शोध पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तावित नामों से इतर अपने स्तर से भी वे विषय से सम्बन्धित किन्हीं दो लब्धप्रतिष्ठ विशेषज्ञों को (अनिवार्य रूप से प्रदेश के बाहर का एक विशेषज्ञ) शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु नामित कर सकते हैं।

13.6 दो बाह्य परीक्षकों के अतिरिक्त शोध प्रबंध का पर्यवेक्षक भी एक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

13.7 शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु शोध अनुभाग (गोपनीय) द्वारा परीक्षकों से सम्पर्क करते समय शोध प्रबंध के साथ जमा की गयी छः प्रतियों की सारांशिका की एक–एक प्रति प्रेषित की जायेगी। शोध प्रबंध मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त पत्राचार शोध अनुभाग (गोपनीय) द्वारा किया जायेगा। शोध पर्यवेक्षक, शोधार्थी, या अन्य किसी माध्यम का इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाली और अनधिकृत सक्रियता मानी जायेगी।

13.8 परीक्षक की स्वीकृति मिलने के उपरान्त शोध अनुभाग, शोध प्रबंध को परीक्षक के पते पर मूल्यांकन हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित करेगा कि वे अपनी आख्या अनिवार्य रूप से अधिकतम पाँच माह के भीतर विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध करा देंगे।

13.9 तीनों रिपोर्ट के सकारात्मक होने की दशा में ही विभागीय शोध समिति द्वारा शोधार्थी की मौखिकी परीक्षा निर्धारित तिथि पर सम्पन्न की जायेगी। मौखिकी परीक्षा में दो नामित परीक्षकों, जिन्होंने शोधार्थी के शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया है, से सहमति प्राप्त कर उनमें से किसी एक की उपस्थिति में मौखिकी परीक्षा संपन्न करायी जायेगी, जिसमें शोध पर्यवेक्षक तथा शोधार्थी की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी।

13.10 यदि शोध प्रबंध की कोई दो रिपोर्ट सकारात्मक और एक रिपोर्ट नकारात्मक पायी गयी तो कुलपति से अनुमति प्राप्त कर शोध अनुभाग किसी अन्य परीक्षक को पुनर्मूल्यांकन हेतु नियुक्त करेगा।

13.11 यदि दोनों बाह्य परीक्षक शोध प्रबंध को शोध उपाधि के अनुकूल न पाते हों तो शोधार्थी को शोध उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी व उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

13.12 संतोषजनक साक्षात्कार परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय शोध समिति अपनी अनुशंसा शोध उपाधि समिति को प्रेषित करेगी। उसी संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव एक अनन्तिम प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) निर्गत कर सकेंगे।

13.13 तत्पश्चात् शोध निदेशक द्वारा शोध प्रबंध को शोधगंगा shodhganga.inflibnet.ac.in पर अपलोड कर दिया जायेगा।

13.14 शोध प्रबंध/Thesis की हार्ड कापी और एक सी0डी0 (पी0डी0एफ0 फाइल में) की एक–एक प्रति विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विभागीय पुस्तकालय में संग्रहीत की जायेगी।

05/09/19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

..............शोध विषय का शीर्षक..............

....

..................................संकाय..............................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

की पी–एच0डी0 (संकाय का नाम) उपाधि हेतु प्रस्तुत–

शोध प्रबंध

विभागाध्यक्ष

..........................नाम.........................

......................विभाग.......................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

शोध पर्यवेक्षक

..........................नाम.........................

........................विभाग.....................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

शोधार्थी

....................................शोधार्थी का नाम..........................

....................................विभाग का नाम............................

शोध पंजीयन संख्या–............................

पंजीकरण संख्या–.....................................

वर्ष..................

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पी–एच0डी0 अध्यादेश 2009/2016 के अन्तर्गत

05/09/19

डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

रचनास्वत्वाधिकार प्रमाण—पत्र

रचनास्वत्वाधिकार ....संकाय,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारत, सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित।

05.9.19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

....................विभाग.................
....................संकाय.................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ–226017

शोधार्थी का प्रतिज्ञा–पत्र

मैं..., अपने शोध प्रबंध को ''..'' शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मेरे शोध का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि की दशा में मैं इसमें अपेक्षित सुधार हेतु सदैव तत्पर हूँ।

दिनांक–.................................
स्थान–लखनऊ।

....
शोधार्थी

05/09/19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

संलग्नक–04

..................विभाग..................
.................संकाय.................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ–226017

शोधार्थी का घोषणा–पत्र

मैं.., प्रमाणित करता हूँ कि प्रो...निर्देशन में प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध का सम्पूर्ण कार्य/लेखन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है और पूर्णतया मौलिक है। शोध–प्रबंध लेखन में लगभग ....वर्ष (माह................ से माह.......................तक) का समय लगा है जिसे मैंने डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पूरा किया है। शोध प्रबंध में वर्णित सामग्री पूर्णतया या आंशिक रूप से अन्य उपाधि या डिप्लोमा के लिये अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गयी है।

मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ कि जहाँ भी अन्य शोधकर्ताओं या पुस्तकों की सामग्री का शोध–प्रबंध के मूल विवेचना या विश्लेषण के क्रम में उपयोग किया गया है, वहाँ उनके नाम और पुस्तक का उल्लेख किया गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि पत्रिकाओं, पुस्तकों, लघु शोध–प्रबन्धों, शोध–प्रबन्ध अथवा वेबसाइट आदि पर उपलब्ध किसी के कार्य उच्छेद द्वारा निष्कर्ष आदि को अपनी जानकारी में यथावत् इस शोध–प्रबन्ध में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसे किसी कार्य को मैंने अपना मौलिक कार्य घोषित किया है।

दिनांक–.................................
स्थान–लखनऊ।

....
शोधार्थी

05/09/19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

संलग्नक—05

..................विभाग..................
.................संकाय.................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ—226017

शोध—पर्यवेक्षक का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....
का कथन/लेखन मेरी जानकारी में सत्य है।

प्रो0 ....

विभागाध्यक्ष

प्रो0 ....

शोध पर्यवेक्षक

05/09/19

डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

संलग्नक–06

..................विभाग..................
..................संकाय..................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ–226017

पाठ्यक्रम / सघन परीक्षा / प्रस्तुति–पूर्व–सेमिनार सफलता

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ...., विभाग.. ....,संकाय.. का नियमित शोध छात्र है। इन्होंने पी–एच0डी0 प्रोग्राम के निमित्त अपेक्षित प्रस्तुति– पूर्व–सेमिनार ''... ....'' शीर्षक पर दिनांक–... को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

प्रो0 .... प्रो0 ....

विभागाध्यक्ष शोध पर्यवेक्षक

दिनांक–...

स्थानः– लखनऊ।

05/09/19
डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

.................विभाग.................
.................संकाय.................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ–226017

आधारभूत पाठ्यक्रम प्रमाण–पत्र

(Pre-Ph.D Course Work in Compliance of UGC Regulations, 2009/2016)

दिनांकः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि ...., शोध छात्र, ... विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने सत्र–.. में शोध में पंजीकृत होकर Pre-Ph.D. Course पूर्ण किया है। उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा में शोध–छात्र को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

विभागाध्यक्ष

....

05/09/19

डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

..................विभाग..................
..................संकाय..................

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ–226017

रचनास्वत्वाधिकार हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र

शोध–प्रबंध का शीर्षक : ".."

शोधार्थी का नाम : ....

रचनास्वत्वाधिकार हस्तान्तरण

पी–एच0डी0 (हिन्दी) उपाधि के लिये प्रस्तुत शोध–प्रबंध के रचनास्वत्वाधिकार के अन्तर्गत आने वाले सभी अधिकारों को अधोहस्ताक्षरी इस पत्र के माध्यम से डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करता है।

दिनांक–..................................
स्थान–लखनऊ।

....
शोधार्थी

टिप्पणी–स्रोत और विश्वविद्यालय के रचनास्वत्वाधिकार सूचना का निर्देश करते हुये लेखक इस शोध–प्रबंध को पुनः प्रस्तुत कर सकता है अथवा किसी दूसरे को शोध–प्रबंध को शब्दशः या आंशिक प्रस्तुति के लिये अधिकृत कर सकता है, अथवा लेखक स्वयं अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये भी पुनः व्युत्पादित कर सकता है।

05/09/19

डॉ० ए० के० सिंह
उप कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ